बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्रांक–02 / कर माफी–13 / 2015 परि0 2077

प्रेषक,

अपर जिला परिवहन पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
गया।

E mail

पटना, दिनांक– 26/4/17

विषयः– वाहन सं0–**BR02M-0963 (बस)** के कर माफी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि दिनांक–30.03.2017 को वाहन संख्या–**BR02M-0963 (बस)** की सुनवाई राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा की गयी, जिसमे वाहन स्वामी स्वयं उपस्थित हुए एवं अपना पक्ष रखा गया।

वाहन स्वामी द्वारा रखे गये पक्ष के आलोक में आपके पत्रांक–513 दिनांक–14.05.2015 की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि इस पत्र के साथ संलग्न कर माफी अभिलेख में **थाना कांड संख्या–394 / 13 दिनांक–24.11.2013** अंकित है जबकि आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन में केश संख्या–395 / 13 लिखा गया है।

आपके द्वारा इस अभिलेख में वाहन स्वामी द्वारा भरा गया प्रपत्र–J संलग्न नही किया गया है सिर्फ वाहन स्वामी के अनुरोध को आधार बनाकर अनुशंसा कर दी गयी है। साथ ही उपर्युक्त वाहन को SDJM, गया द्वारा दिनांक–21.08.2014 को मुक्त करने का आदेश दिया गया है एवं वाहन स्वामी द्वारा आपके कार्यालय में दिनांक–29.08.2014 को अपने वाहन के मरम्मती करवाने हेतु आवेदन दिया गया है जबकि आपके द्वारा दिनांक–24.08.2014 से उपर्युक्त वाहन को मरम्मती के कार्य के लिए खड़ी रहने की बात कही गयी है।

आप अवगत है कि बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–17 के परन्तुक के अनुसार किसी भी वाहन के अस्थाई परिचालन विराम की अवधि एक बार में छः माह से अधिक नही होने का प्रावधान है जबकि उपर्युक्त वाहन के मरम्मति हेतु **दिनांक–24.08.2014 से दिनांक–24.04.2015** तक गैरेज में रखे जाने की बात का उल्लेख आपके अभिलेख में किया गया जिसकी अवधि छः माह से अधिक है। आपके द्वारा भेजे गए कर माफी अभिलेख में त्रुटि होने के कारण इस मामले का पूर्ण रुप से निस्तारण नहीं किया जा सका।

अतः उपरोक्त मामले में आपके द्वारा किस नियम / धारा के तहत उपर्युक्त वाहन के अस्थाई परिचालन विराम की **अवधि छः माह से अधिक** समय की वृद्धि की गयी है। साथ ही थाना कांड संख्या एवं कर माफी की सही अवधि अंकित करते हुए सुस्पष्ट अभिलेख मुख्यालय को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि इस मामले का पूर्ण रुप से निस्तारण किया जा सके।

विश्वासभाजन

अपर जिला परिवहन पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।